रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 1974/भाद्र 29, 1896
No. 230] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 1974/BHADRA 29, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library
Govt. of India

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th September, 1974

SUBJECT.—*Import Policy for registered exporters for the period April* 1974—*March* 1975.

No. 140-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 99-ITC(PN)/74 dated the 20th July 1974, pertaining to the import Policy for registered exporters for the period April 1974—March 1975, under which certain 'Remarks' have been added in Col. 5 against various export products referred to at Sl. Nos. 2-7 in the said Public Notice.

2. On a review of the position, it has been decided to amend the said 'Remarks' in Col. 5 as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendments
1	2	3
107	B. 31·1(1)/6	The 'Remark' No. (2) may be amended to read as under:— "(2) Import of Polyamide resins (33 1/3%) may be allowed only against export of paints, varnishes/ enamels based on polyamide."

1	2	3
108	B. 31·2/5	The 'Remark' No. (1) may be amended to read as under:— "(1) Import of DMT (DI-Methyl Terephthallate (50%) may be allowed only against export of super synthetic enamels based on polyester."
116	B. 56·3/5	The 'Remark' No. (2) may be amended to read as under:— "(2) Import of polyester coating resins (25%) may be allowed against export of decorative plywood only."
116	B. 56·9/5	The 'Remark' No. (2) may be amended to read as under:— "(2) Import of polyester coating resin (25%) may be allowed against export of decorative laminated plywood only."
127	C. 23/5 .	The 'Remark' No. (2) may be amended to read as under:— "(2) Import of Ployester resin (General purpose) (25%) and synthetic resins (other than banned) (15%) may be allowed against export of glass fibre re-inforced polyesters products only."
135	C. 37/5 ·	The 'Remark' No. (1) may be amended to read as under :— "(1) Import of polyamide moulding powder (25%) may be allowed against export of plastic brushes based on polyamide moulding powder."

2. The Ministry of Commerce Public Notice No. 99-ITC (PN)/74 dated the 20th July 1974, may be deemed to have been amended accordingly.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1974

विषय— अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए [आयात नीति]।

सं० 140–आई०टी०सी० (पी०एन०)/74.–अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 99–आई टी सी (पीएन)/74, दिनांक 20 जुलाई, 1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें उक्त सार्वजनिक सूचना में क्रम संख्या: 2–7 पर उल्लिखित विभिन्न निर्यात उत्पादों के सामने के कालम 6 में कुछ "टिप्पणियां" संकलित की गई हैं ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर कालम 5 की उक्त टिप्पणियों को नीचे निर्दिष्टानुसार संशोधित करने का निश्चय किया गया है:—

रैडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
107.	बी० 31. 1 (1)15	"टिप्पणी" संख्या (2) को निम्नप्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए:— "(2) पालिएमाइड रेजिन्स (33.1/3 प्रतिशत) के आयात की स्वीकृति पालिएमाइड पर आधारित केवल पैंट, वार्निश/एनेमल्स के निर्यात के मद्दे ही दी जा सकती है।"
108.	बी० 31. 2/5	"टिप्पणी" (1) को निम्नप्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— (1) डी (एम टी) -डाइ-मेथिल टेरेफ्थलेट) के आयात स्वीकृति पालिएस्टर, पर आधारित केवल सुपर सिन्थेटिक एनेमल्स के निर्यात मद्दे ही दी जा सकती है।"
116.	बी० 56. 3/5	"टिप्पणी" संख्या (2) को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— "(2) पालिएस्टर अच्छादित रेजिन्स (25 प्रतिशत) के आयात की स्वीकृति केवल सजावटी प्लाइ-बुड के निर्यात के मद्दे ही दी जाएगी।"
127.	सी० 23/5	"टिप्पणी" संख्या (2) को निम्न प्रकार से पढ़ने के लि संशोधित किया जाए :— "(2) पालिए स्टर, रेजिन सामान्य उद्देश्य के लिये (25 प्रतिशत) और सिन्थेटिक रेजिन्स (निषेध से भिन्न) (15 प्रतिशत) के आयात की स्वीकृति केवल ग्लासफाइबर रि-इन्फोर्सड पालिएस्टर उत्पादों के निर्यात के मद्दे ही दी जाएगी।"

1	2	3
135.	सी० 37/5	"टिप्पणी" संख्या (1) को निम्नप्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :– "(1) पालिएमाइड मौल्डिंग पाउडर (25 प्रतिशत) के आयात की स्वीकृति पालिएमाइड मौल्डिंग पाउडर पर अधारित प्लास्टिक वस्तुओं के निर्यात के महे दी जाएगी।"

2. तदनुसार, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 99–आई टी सी (पीएन)/74 दिनांक 20 जुलाई, 1974 को संशोधित किया गया समझा जाए।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974